न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—20/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00020)

1. रामस्वरूप पुत्र श्री मोहनलाल जाति धोबी निवासी कृष्णापुरी मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. रामवतार पुत्र श्री मोहनलाल
3. जसोदा पुत्री श्री मोहनलाल
   जाति धोबी निवासी डींडवाडा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
4. श्रीमती सूरज पुत्री कैलाश
5. सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल
6. कमला पुत्री श्री मोहनलाल
   जाति धोबी निवासी डीडवाडा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री मदनलाल जाति धोबी निवासी डीडवाना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर हाल निवासी आजाद नगर मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. शैतान पुत्र स्व0 नन्दा
3. ओमप्रकाश पुत्र रमेश
4. अयोध्या देवी पत्नी स्व0 रमेश
5. इंद्रा पुत्री ओमप्रकाश
6. सीमा पुत्री ओमप्रकाश
7. रेखा पुत्री ओमप्रकाश
8. सोनू पुत्री ओमप्रकाश
   रास्ता जाति धोबी निवासी संजय नगर कच्ची बस्ती डी0एस0एस अजमेर रोड़ जयपुर।
9. रतनी पत्नी सोहनलाल
10. रामदेव उर्फ लूंगा पुत्र सोहनलाल
11. ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल
12. बजरंग पुत्र सोहनलाल
13. विद्या पुत्री सोहनलाल
14. समना पुत्री सोहनलाल
15. मंजू पुत्री सोहनलाल
16. सुन्दर पुत्री सोहनलाल
17. सावित्री देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार
    जाति धोबी निवासी ग्राम डीडवाना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
18. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, किशनगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

19. महेश पुत्र रसाल जाति धोबी निवासी ग्राम डीडवाना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
20. गुन्नी पुत्री रसाल पत्नी सीतारामजी जाति धोबी निवासी दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर।
21. किरण पुत्री रसाल पत्नी शंकर जाति धोबी निवासी अजमेर।
22. राजू पुत्री रसाल पत्नी सीताराम जाति धोबी निवासी सेवा तहसील दूदू जिला जयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

23. पुष्पा पुत्री रसाल पत्नी दशरथ जाति धोबी निवासी दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर।
24. रेखा पुत्री रसाल पत्नी अनिल जाति धोबी निवासी रेण तहसील मेडता जिला नागौर।

प्रर्फार्मा रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.10.2016 उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ राजस्व वाद संख्या 111/2012

उपस्थितः–

1. श्री शिव प्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 17.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 18.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 19 से 24 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः–30.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 111/2012 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वास्ते बंटवारे हेतु उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया। तत्पश्चात पत्रावली वादी की जिरह हेतु नियत होती रही व अचानक पत्रावली को बिना बसि में नियत किए लोक अदालत केम्प डीडवाडा के समक्ष नियत कर दिया गया व दिनां 18.3.2016 को वादी व प्रतिवादीगण की आपसी सहमति होना अंकित करते हुए मौके पर काविज अनुसार विभाजन होना चाहते हुए पत्रावली को दिनांक 13.5.2016 में नियत किया गया इसके पश्चात पत्रावली को पुनः लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र डीडवाडा में दिनांक 2.6.2016 को पेश होने का आदेश प्रदान किया। तत्पश्चात प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा मोहर अंकित करते हुए तारीख पेशी नियत की गई व दिनांक 21.10.2016 को एक तरफा तौर पर बिना अपीलांटस को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए दिनांक 18.3.2016 के अनुसार पक्षकारान के मध्य सहमति अनुसार वादी का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 17 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 19 से 24 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।
4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवेदन किया कि उक्त निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.6.2018 को हुई जिस दिवस उपरोक्त प्रकरण को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट डींडवाना में बंटवारा प्रस्ताव बनाने हेतु नियत किया गया था। तब लोक अदालत ग्राम पंचायत डींडवाना के अटल सेवा केंद्र में पत्रावली नियत होने से प्रार्थीगण अपने स्वयं के गांव में केम्प आयोजित होने से वहां गए थे तब उपखण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अधिकारी, किशनगढ के रीडर द्वारा यह कहा गया कि आपका प्रकरण विचाराधीन है जिसमें आपको तारीख के लिए हस्ताक्षर करने अनिवार्य है तब हमारे द्वारा उपरोक्त पत्रावली पर हस्ताक्षर किए गए तब जाकर प्रार्थीगण को उपरोक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा अपने वकील साहब से सम्पर्क किया जाकर दिनांक 26.11.2018 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त की तत्पश्चात प्रार्थीगण की बहनें तीर्थ यात्रा पर चली गई जिससे कि प्रार्थीगण द्वारा समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि केम्प कोर्ट में लोक अदालत सिर्फ उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकार आपस में रजामंद हो परंतु उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट द्वारा लिखित में कोई सहमति नहीं दी गई व न ही अपीलांट के अभिभाषक की कोई बहस सुनी गई, गलत तौर पर पक्षकार अपीलांट को तारीख देने बाबत कहते हुए फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाए वह भी बंटवारा प्रस्ताव बाबत लोक अदालत केम्प कोर्ट में दिनांक 18.6.2018 नियत की गई इस प्रकार सर्वप्रथम अपीलांटस को उपरोक्त गैर कानूनी निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 18.6.2018 को हुई। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी किशनगढ ने जो एक तरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिए जाने के पश्चात ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है परंतु उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ ने प्रकरण को लोक अदालत केम्प कोर्ट डिडवाडा में नियत कर जो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। बंटवारे के वाद में लगान का बंटवारा किया जाना भी न्यायिक रूप से अनिवार्य है परंतु उपखण्ड अधिकारी किशनगढ ने नियमों के विपरीत जाकर जो निर्णय पारित किया वह काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित में कोई सहमति प्रदान नहीं की थी इसके बावजूद भी उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2016 में यह कहते हुए निर्णय पारित किया कि प्रतिवादीगण की सहमति पेश की है, जबकि अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष लिखित में किसी प्रकार की कोई सहमति बाबत लिखितम पेश नहीं की थी इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी ने दस्तावेज के विपरीत जाकर निर्णय पारित कर दिया जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। बंटवारे के वाद में बंटवारा प्रस्ताव बाबत लैण्ड होल्डर तहसीलदार, किशनगढ को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव मुर्तिब करना अनिवार्य है इसके बावजूद भी उपरोक्त प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव मुर्तिब किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विपक्षी/वादी द्वारा की गई फर्जी कार्यवाही के लिए अपीलांटस द्वारा अलग से फौजदारी कार्यवाही फौजदारी न्यायालय में विपक्षी के विरूद्ध की जा रही है। प्रतिवादीया संख्या 5 रसाल पुत्री श्री मोहन का निर्णय पारित करने से पूर्व देहान्त हो गया था जिसके बावजूद भी बिना कायम मुकाम कार्यवाही किए व बिना वारिसान को सुनवाई का अवसर दिए, जो निर्णय पारित किया है वह मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किए जाने से प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.10.2016 को निरस्त किए जाकर अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने बाबत् प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रतिप्रेषित किया जाकर तनकीवार निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 17 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है। अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सद्भाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 17 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 26 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी नवीन खाता संख्या 456 व पुराने खाता संख्या 398 खसरा नम्बर 287 रकबा 13–15–00 भूमि ग्राम डीडवाडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। वाद अधीन भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के स्व0 दादाजी नन्दाजी के चारों पुत्र मोहन, सोहन, मदनलाल व शैतान का बराबर–बराबर प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी के पिता मदनलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा स्व मदनलाल के दो पुत्र रमेशचंद व राधेश्यामह है जिसमें राधेश्याम मौजूद है तथा रमेशचंद का स्वर्गवास हो चुका है। वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं वादी का 1/4 हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद अधीन भूमि में प्रतिवादी का 1/8 हिस्सा निहित है। वाद अधीन आराजी का मौके पर नीव सीव सहित बंटवारा न होने के कारण वादीगण आए दिन कम ज्यादा का विवाद करते हैं तथा लगान अदायगी में भी आनाकानी करते हैं । प्रतिवादी स्वयं के हिस्से की भूमि के शंति पूर्वक उपयोग उपभोग के लिए एवं वादीगण द्वारा किए जा रहे कम ज्यादा के विवाद के कारण स्वयं की भूमि का नीव सींव सहित बंटवारा करवाने का अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 15.5.2012 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी मौके पर स्वयं के हिस्से की भूमि में सूड करने के उद्देश्य से मौके पर गया तो वादीगण ने नाजायत आपत्ति की तब एवं निरंतर जारी है का कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वाद अधीन भूमि का मय नीवं सींव सहित बंटवारा किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.03.2016 को वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमति किये जाने से प्रकरण दिनांक 21.10.2016 को राजस्व कैम्प कोर्ट डीडवाना में नियत कर आपसी सहमति के आधार पर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया गया है। लोक अदालत की भावना एवं आपसी सहमति से किए गए निर्णय अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते है। यह अपील लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं जो खारिज योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अतः अपील अपीलांटस खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अपीलांटस अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

9. प्रकरण में गुणागुण पर पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत प्रस्तुत कर वाद में दर्शाये अनुसार बंटवारे की डिक्री पारित करने का निवेदन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 9, 13 लगायत 16 के विरूद्ध दिनांक 03.07.2012 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 03.07.2012 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 10, 12 व 17 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया एवं दिनांक 16.07.2013 को प्रतिवादी संख्या 24 द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किऐ जाने के कारण उसका जवाबदावा बंद कर दिनांक 21.10.2016 को एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री पारित की गई है । यहां पर यह तथ्य का उल्लेख करना उचित होगा कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सम्मन नोटिस का अवलोकन करने पर पाया गया कि तामील कुनींदा द्वारा किसी शैतान नामक व्यक्ति को नजदीकी रिश्तेदार बताकर प्रतिवादीगण की उपस्थिति की प्रथम तारीख पेशी पर ही तामिल मानकर एकपक्षीय कार्यवाही की गई, इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की घोर अवहेलना की जाकर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में अपनी बात रखने का समुचित अवसर प्राप्त ही नहीं हुआ है। उक्त प्रकिया न्याय की साम्यता के प्रतिकूल है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.1.2016 में अंकित किया गया है कि "पत्रावली पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । राजस्व कैम्प कोर्ट डीडवाडा दिनांक 18.03.2016 के अनुसार पक्षकारान के मध्य हुई सहमति अनुसार वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है।" विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने अपील मीमों में कथन किया है कि उनके द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष आपसी सहमति बाबत् कोई लिखित सहमति नहीं दी गई थी ना ही परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांटस/प्रतिवादीगण को सुना गया था । दिनांक 18.03.2016 को गलत तौर पर पक्षकार अपीलांटस को तारीख देने बाबत् कहते हुए फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये है एवं दावे में मौजूद सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नही है कैम्प कोर्ट में केवल सहमति /राजीनामा से ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बाबत् विधिक त्रुटि कारित की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिये।हस्तगत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांटस/प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.10.2016 को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम न्यायहित में अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर पुनः परीक्षण कराया जाना उचित समझते है ।

10. परिणामत् अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा वाद संख्या 111/2012 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.10.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में विधिनुसार निर्णय पारित करें । तत्पश्चात् तहसीलदार स्वंय द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर, बंटवारा प्रस्ताव पर आक्षेप आमंत्रित कर उनका निस्तारण करने के उपरान्त ही वाद में अंतिम डिक्री पारित करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उभयपक्षकारान दिनांक 3.01.2023 को उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ़ के न्यायालय में उपस्थित होवें।पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर